न्यायालय जिला जज, चम्पावत, श्रीखण्ड चौड स्थित कैण्टीन/फोटो कॉपियर शॉप/कार–स्कूटर पार्किंग वर्ष 2026–2027 के लिये सार्वजनिक नीलामी की सूचना–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय चम्पावत की कैण्टीन/फोटो कॉपियर शॉप/कार–स्कूटर पार्किंग वर्ष 2026–2027 के लिये सार्वजनिक नीलामी **दिनॉक: 30–04–2026** को समय अपराह्न 04:00 बजे सार्वजनिक रूप से न्यायालय परिसर, श्रीखण्ड चौड, चम्पावत में की जायेगी। नीलामी की शर्त किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय (नजारत) में सम्पर्क कर देखी जा सकती है।

24/04/26.

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत/
अध्यक्षा कमेटी, कैण्टीन नीलामी
चम्पावत।

कार्यालय जिला जज, चम्पावत ।

पत्रॉक: 45/बारह–2–2009, कैण्टीन–2024–2025, दिनॉक: 24–04–2026

प्रतिलिपि सर्वसाधारण / निम्नॉकित कार्यालयों को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु–

01–कार्यालय जिला जज, चम्पावत ।

02–कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत ।

03–कार्यालय पुलिस अधीक्षक ,चम्पावत ।

04–कार्यालय तहसीलदार, चम्पावत ।

05–भारतीय स्टेट बैंक चम्पावत ।

06–पंजाब नैशनल बैंक चम्पावत ।

07–नैनीताल बैंक चम्पावत ।

08–उत्तराखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चम्पावत ।

09–सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय ।

10–नगर पंचायत चम्पावत ।

11–जिला पंचायत लोहाघाट चम्पावत ।

12–नगर पंचायत लोहाघाट ।

13–स्थानीय बाजार के सार्वजनिक स्थल ।

14–न्यायालय की वेबसाइड में डाउनलोड किये जाने हेतु ।

आदेशानुसार,
24/4/26
केन्द्रीय नाजिर,
न्यायालय जिला जज,
चम्पावत।

CENTRAL NAZIR
DISTRICT JUDGE
Champawat

1 कार्यालय जिला जज,चम्पावत ।

2 कार्यालय जिलाधिकारी ,चम्पावत ।

3 कार्यालय पुलिस अधीक्षक,चम्पावत ।

4 कार्यालय तहसीलदार,चम्पावत ।

5 भारतीय स्टेट बैंक चम्पावत के नोटिस बोर्ड में चस्पा ।

6 पंजाब नैशनल बैंक के नोटिस नोटिस बोर्ड में चस्पा ।

7 नैनीताल बैंक चम्पावत के नोटिस बोर्ड में चस्पा ।

8 उत्तरॉखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नोटिस बोर्ड में चस्पा ।

9 सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय ।

10 नगर पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा ।

11 जिला पंचायत लोहाघाट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा ।

12 नगर पंचायत लोहाघाट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु ।

13 स्थानीय बाजार के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा हेतु ।

14 न्यायालय की वेबसाइड में डाउनलोड की जावे ।

आख्या नीलामी समितिः 2026–2027, दिनॉकः 24–04–2026

मानननीय जिला जज महोदय, चम्पावत के कार्यालय आदेश संख्याः 12/2026 दिनॉकितः 24–04–2026 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु जजशिप मुख्यालय चम्पावत के न्यायालय परिसर में स्थित **न्यायालय कैण्टीन, फोटो कॉपियर शॉप एवं कार–स्कूटर पार्किंग** की सार्वजनिक नीलामी की जानी प्रस्तावित है।

उक्त आदेश में, **श्रीमती निहारिका मित्तल गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत अध्यक्षा , श्री विशाल गोयल, सिविल जज (जू0डि0) चम्पावत सदस्य, आनन्द राम, केन्द्रीय नाजिर/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सदस्य** की सदस्यता एवं बाहय न्यायालय टनकपुर में कैण्टीन की नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया को सम्पादित किये जाने हेतु उपरोक्त कमेटी में अतिरिक्त सदस्य के रूप में **श्रीमती रूचिका नरूला, सिविल जज (जू0डि0) टनकपुर को नामित कर** एक कमेटी गठित की गई है। बाहय न्यायालय टनकपुर से कैण्टीन सदस्य के रूप में श्रीमती रूचिका नरूला, सिविल जज (जू0डि0) टनकपुर को वी0सी0 के माध्यम से जोड़ा गया।

कमेटी द्वारा आज दिनांकः 24–04–2026 को प्रस्तावित नीलामी की प्रकिया एवं शर्तो के निर्धारण हेतु एक बैठक मेरे विश्राम कक्ष में सांय 04:00 बजे की गई। कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से, प्रस्तावित नीलामी के सम्बन्ध में निम्न शर्ते एवं प्रकिया निर्धारित की जाती है–

1–नीलामी सार्वजनिक रूप से की जायेगी।

2–सार्वजनिक नीलामी सूचना स्थानीय कार्यालयों, जैसे– सोल्जर बोर्ड, तहसील, स्टेट बैंक, नैनीताल बैंक, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, नगर पंचायत, जिला पंचायत परिषद के नोटिस बोर्ड में सम्यक प्रचार–प्रसार हेतु चस्पा की जायेगी तथा न्यायालय की बेबसाइट पर भी अपलोड़ की जायेगी।

3–इच्छुक व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित कैण्टीन/फोटो कॉपियर शॉप / कार–स्कूटर पार्किंग स्थल का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस को स्थान श्रीखण्ड चौड स्थित न्यायालय परिसर में किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9:30 बजे से 04:00 बजे तक किया जा सकता है।

4–नीलामी की कार्यवाही से पूर्व बोलीदाता द्वारा कैण्टीन के लिये जमानत राशि **मु0 ₹ 3,000/–** एवं फोटो कॉपियर शॉप व कार–स्कूटर पार्किंग प्रत्येक के लिये **मु0 ₹ 2,000/–** नकद नजारत में जमा करनी होगी।

5–**मुख्यालय कैन्टीन** की न्यूनतम बोली विगत वर्ष में अधिकतम बोली की धनराशि **मु0 ₹ 29,500/–** तथा फोटो कॉपियर शॉप व कार–स्कूटर पार्किंग प्रत्येक के लिये इस वर्ष न्यूनतम बोली मु0 ₹ 8,000/– निर्धारित की जाती है।

6–**बाहय न्यायालय टनकपुर की कैन्टीन** की न्यूनतम बोली विगत वर्ष में अधिकतम बोली की धनराशि **मु0 ₹ 10,000/–** इस वर्ष निर्धारित की जाती है।

7–सार्वजनिक नीलामी में प्रत्येक के लिये कम से कम तीन बोलीदाता होने पर ही नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न कराई जायेगी।

24/04/26

(आनन्द राम) 24/4/26
केन्द्रीय नाजिर
सदस्य कमेटी

(विशाल गोयल) 24/4/26
सिविल जज (जू0 डि0) चम्पावत
सदस्य कमेटी
(विशाल गोयल)
सिविल जज (जू0डि0), चम्पावत

(रूचिका नरूला)
सिविल जज (जू0 डि0) टनकपुर
सदस्या कमेटी

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,चम्पावत
अध्यक्षा कमेटी

8–उच्चतम् बोलीदाता की बोली स्वीकार होने पर उसे सम्पूर्ण बोली की राशि 10 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।

9– **कैण्टीन / फोटो कॉपियर शॉप/ कार – स्कूटर पार्किंग** की निर्धारित न्यूनतम बोली से बोली मु0 ₹ 100.00/– के गुणॉक से बोली जायेगी।

10– बोली स्वीकृत होने पर बोलीदाता को कैण्टीन/फोटो कॉपियर शॉप/ कार – स्कूटर पार्किंग की सुपुर्दगी तभी दी जायेगी, जब वह निर्धारित शर्तो की डीड को निष्पादित करेगा।

11–कैण्टीन/फोटो कॉपियर शॉप धारक को बिजली व पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

12–कैण्टीन में कैण्टीनधारक केवल व्यवसायिक गैस का ही प्रयोग करेगा तथा गन्दगी होने पर सफाई, रंगाई व पुताई वह स्वयं करेगा।

13–बोली धारकों को कैण्टीन/फोटो कॉपियर शॉप की रख–रखाव का पूर्ण ध्यान रखना होगा एवं त्रुटि अथवा असंतुष्टि होने पर किसी भी समय नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश से रदद की जा सकेगी ।

14–कार स्कूटर पार्किंग के स्थान की साफ–सफाई का उचित प्रबन्ध बोलीदाता को स्वयं करना होगा तथा कार के लिये मु0 **₹ 40–00/–**,स्कूटर मोटर साइकिल के लिये मु0 **₹ 20–00/–** व बडे वाहन के लिये मु0 **₹ 50–00/–** पार्किंग शुल्क निर्धारित किया जा सकता है ।

15–माननीय जनपद न्यायाधीश के पास सर्वाधिक बोलीदाता की बोली बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

16–कैण्टीन धारक को सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

17–अवांछित एवं असामाजिक तत्वों का कैण्टीन में प्रवेश वर्जित होगा ।

18–शराब, तम्बाकू एवं अवैध वस्तु से बने उत्पादों की बिक्री कैण्टीन में वर्जित होगी।

उक्त नीलामी आख्या माननीय महोदय के समक्ष उचित आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है ।

24/4/26	24/4/26		24/04/26.
(आनन्द राम)	(विशाल गोयल)	(रूचिका नरूला)	(निहारिका मित्तल गुप्ता)
केन्द्रीय नाजिर	सिविल जज (जू0 डि0) चम्पावत	सिविल जज (जू0 डि0) टनकपुर	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत
सदस्य कमेटी	सदस्य कमेटी	सदस्या कमेटी	अध्यक्षा कमेटी
	(विशाल गोयल) सिविल जज (जू0डि0), चम्पावत		(निहारिका मित्तल गुप्ता) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत